

08-07-17

खण्डपीठ क्र० 21

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ के समक्ष पेश।  
परिवादी सहित अधिवक्ता श्री रवि मुदगल उपस्थित।

आरोपी अनुपस्थित।

प्रकरण में परिवादी सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा मालनपुर के शाखा प्रबंधक श्री उमाशंकर यादव द्वारा प्रकरण में राजीनामा किए जाने हेतु लोक अदालत का ड्रॉकेट भरकर पेश किया गया है एवं राजीनामे के आधार पर परिवाद को वापिस लिए जाने हेतु आवेदन भी प्रस्तुत किया गया। परिवादी द्वारा व्यक्त किया गया है कि आरोपी एवं उसके मध्य राजीनामा हो चुका है। आरोपी द्वारा चैक की राशि अदा कर दी गई है। अतः परिवादी परिवाद को आगे नहीं चलाना चाहता है।

चूंकि परिवादी एवं आरोपी के मध्य राजीनामा हो चुका है एवं राजीनामा हो जाने के कारण परिवादी प्रस्तुत परिवाद को आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः प्रस्तुत परिवाद परिवादी द्वारा वापस लिए जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

आरोपी को प्रक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

खण्डपीठ सदस्य. क्र.1—

क्र.2—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

पीठासीन अधिकारी

खण्डपीठ क्र०21 गोहद

जिला भिण्ड म०प्र०

सामान्य जान  
(शासकीय / विधिक)